रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2010/वैशाख 29, 1933

No. 916] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2010/VAISAKHA 29, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2011

का.आ. 1113(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर एतद्द्वारा निम्नलिखित लेखांकन मानक तैयार करती है, अर्थात्- भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस)2,- ''सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण।''

2. भारत सरकार लेखांकन मानक, (आईजीएएस)2,- ''सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण।'' में ग्रांटर तथा ग्रांटी दोनों के तौर पर सरकार के वित्तीय विवरणों में सहायता अनुदान के निम्नलिखित लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है, अर्थात्-

''सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण''

मानक जिसे बड़े तिरछे टाइप में सेट किया गया है, उसे इस मानक में व्याख्यात्मक पैराग्राफ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए, जो प्लेन टाइप में है और ''भारत सरकार लेखांकन मानक से संबद्ध आमुख'' के परिप्रेक्ष्य में है। भारत सरकार लेखांकन मानक. गैर भौतिक मदों के संबंध में लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

1797 GI/2011

प्रस्तावना

1. सहायता अनुदान सहायता, दान अथवा अंशदान के स्वरूप में किए जाने वाले भुगतान हैं जो एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यष्टिकों को किए जाते हैं। सहायता अनुदान किसी संस्थान को सहायता के प्रयोजनार्थ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। सहायता अनुदान का सामान्य सिद्धान्त है कि यह किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक निकाय अथवा संस्था को जिसकी अपनी विधिक प्रास्थिति है, को दिया जा सकता है। ऐसे सहायता अनुदान नकद अथवा पण्य में दिया जा सकता है जिसे प्राप्तकर्ता एजेंसियों द्वारा अपने प्रचालन अथवा पूंजी व्यय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है।

2. सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को संविधान के अंतर्गत स्थानीय सरकार के कार्यों के निष्पादन हेतु दिया जाता है। यह भारत में शासन प्रणाली पर आधारित है जिसके तीन स्तरीय पैटर्न हैं, शीर्ष पर केन्द्र सरकार, मध्य में राज्य और जमीनी स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय निकाय हैं, सरकार के इन तीन स्तरों का लेखा पृथक होता है और परिणामस्वरूप सरकार के प्रत्येक स्तर पर परिसंपत्तियां और देयताएं पृथक-पृथक दर्ज की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए सहायता अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 और 282 के अनुसार भारत के समेकित निधि से भुगतान किया जाता है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय आयोजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान जारी करती है। कभी-कभी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निधियां पास-थ्रू अनुदान के रूप में संवितरित करती है जो स्थानीय निकायों को पारित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और अन्य विशिष्ट एजेंसियों को जिसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास, अन्य कल्याणकारी योजनाएं और सड़क निर्माण जैसे अन्य पूंजीगत निर्माण कार्य योजनाएं शामिल हैं, को सीधे भी निधियां जारी की जाती हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारें एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं और अन्यों को सहायता अनुदान संवितरित करती है।

3. संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देता है जिससे वे क्रमशः ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने में समर्थ होते हैं। संविधान राज्य सरकार को यह प्राधिकार भी देता है कि वे पंचायतों और नगरपालिकाओं को, जैसी कि कानून में व्यवस्था है, ऐसे सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था करें। राज्य सरकारें एजेंसियों,निकायों और संस्थानों को जो विशिष्ट विधिक इकाई हैं, को भी सहायता अनुदान संवितरित करती है।

उद्देश्य

4. इस मानक का उद्देश्य ग्रांटर तथा ग्रांटी दोनों के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणों में सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धान्तों को निर्धारित करना है। इस मानक का उद्देश्य सरकार के वित्तीय विवरणों में उपयुक्त प्रकटन के जरिए सहायता अनुदान के लेखांकन तथा वर्गीकरण के उपयुक्त सिद्धांतों के अनुपालन में सामने आने वाली किसी कठिनाई के समाधान हेतु व्यवहार्य समाधान भी निर्धारित करना है।

कार्यक्षेत्र

5. यह मानक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में उनके द्वारा प्राप्त अथवा प्रदत्त सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण में लागू है। वित्तीय विवरणों को इस मानक की अनुपालन के रूप में वर्णित तब तक न किया जाए जब तक कि वे उसमें निहित सभी अपेक्षाओं की पालना नहीं होती। इस मानक में उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित पास-थ्रू अनुदान के मामले सामने हैं

परिभाषा

6. निम्नलिखित शब्दों का उपयोग इस मानक में विशिष्ट अभिप्राय के साथ किया गया है जब तक कि वे संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

लेखांकन प्राधिकारी वह प्राधिकारी है जो सरकार के वित्तीय विवरणों को तैयार करता है। वित्तीय विवरण से अभिप्राय सरकारों के वार्षिक वित्तीय लेखों से है।

सहायता अनुदान एक सरकार (ग्रांटर) से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यष्टिक (ग्रांटी) द्वारा दान अथवा अंशदान के स्वरूप में नगर अथवा पण्य रूप में भुगतान, निधियों का अंतरण है।

सरकार का अभिप्राय सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों को एक साथ लेने से है, भले ही वे केन्द्र सरकार हों अथवा राज्य सरकार अथवा विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों के ।

स्थानीय निकायों में संविधान के अनुच्छेद 243 और अनुसूची 12 के उपबंधों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।

पास-थ्रू अनुदान का अभिप्राय केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई अंतिम गारंटी के संबंध में अंतरण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान है।

मान्यता

7. नकदी सहायता अनुदान को ग्रांटर की बही में मान्य किया जाएगा जबकि नकद संवितरण होता है। नकदी सहायता अनुदान ग्रांटी बही में मान्य होगा जबकि नकद प्राप्तियां होती हैं।

8. पण्य सहायता अनुदान जिसका मूल्य पैरा 12 में उपलब्ध है उसे ग्रांटर की बही में मान्य किया जाएगा जबकि ग्रांटी द्वारा उनकी प्राप्ति होती है। पण्य सहायता अनुदान जिसका मूल्य पैरा 12 में उपलब्ध है उसे ग्रांटी की बही में मान्य किया जाएगा जबकि ग्रांटी द्वारा उसकी प्राप्ति होती है।

लेखांकन तथा वर्गीकरण

9. किसी ग्रान्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान ग्रान्टर के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत तथा लेखांकित किया जाएगा, इसमें उस उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिस हेतु सहायता अनुदान के रूप में निधियों का संवितरण किया जाता है और जिसे ग्रांटी द्वारा व्यय किया जाना है, इसमें पैरा 13 में संदर्भित मामले शामिल नहीं हैं।

10. केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को पास-थ्रू अनुदान के स्वरूप की सहायता अनुदान को अंतिम गारंटी के लिए संवितरित किया जाएगा और जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत तथा लेखांकित किया जाएगा, इसमें उस उद्देश्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा जिसके लिए ऐसे अनुदान अंतिम गारंटी द्वारा व्यय किए जाते हैं, इसमें पैरा 13 में संदर्भित मामले शामिल नहीं हैं।

11. सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों को अपने वित्तीय विवरणों में राजस्व प्राप्तियों के बतौर वर्गीकृत तथा लेखांकित किया जाएगा जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों को उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है, इसमें पैरा 13 में संदर्भित मामले शामिल नहीं हैं।

12. पण्य सहायता अनुदान का निम्नानुसार मूल्य निर्धारण अथवा प्रकटन किया जाएगाः

(क) पण्य सहायता अनुदान जो उपभोज्य वस्तुओं के स्वरूप की हैं अथवा ग्रान्टर द्वारा एक करोड़ रूपए से कम राशि के मूल्य की हैं, उसे उपयुक्त प्रमात्रा में दिखाया जाए,

(ख) प्राकृतिक आपदाओं अथवा आपातकालीन उद्देश्यों से संबद्ध पण्य सहायता अनुदान को उपयुक्त प्रमात्रा में दिखाया जाए। यह प्रकटन उसके मौद्रिक मूल्य के अतिरिक्त हो।

(ग) अन्य मामलों में पण्य सहायता अनुदान ग्रान्टर द्वारा प्रदत्त लागत के अनुसार आंकी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां ग्रान्टर लागत को सूचित करने में असमर्थ हो, वहां सहायता अनुदान के बाजार मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

(घ) बाजार मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्य होगा और इसके अभाव में उसकी प्रतिस्थापन लागत अथवा उसी आयु की सदृश्य परिसंपत्तियां, शर्त और उद्देश्य होंगे।

13. परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान पर होने वाला व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजी लेखा शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा, इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर विशिष्ट रूप से प्राधिकृत हों।

14. सहायता अनुदान ग्रान्टर के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकित होते हैं, इसमें ग्रान्टी द्वारा इसके अंतिम अनुप्रयोग को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह स्थिति उन मामलों में भी सही बैठती है जहां सहायता अनुदान का उपयोग ग्रान्टी द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रयोजनार्थ किया जाता है सहायता अनुदान की प्राप्तियां ग्रान्टी सरकार के वित्तीय विवरणों में राजस्व प्राप्तियों के बतौर समझी जानी अपेक्षित होती हैं।

15. विभिन्न अनुदानग्राहियों द्वारा सहायता-अनुदान स्थायी परिसंपत्ति यथा-भूमि के रूप में भी पाए जाते हैं। आम तौर पर ऐसे सहायता अनुदानों का मूल्यांकन बाजार कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए तथापि यदि बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में इन्हें अनुदानदाता द्वारा आकलित लागत मूल्यांकन के आधार पर उपयोग में लाया जाना चाहिए।

16. पास-थ्रू- अनुदान सामान्यता अंतिम अनुदान ग्राही को अंतरित किए जाने के लिए मध्यवर्ती अनुदानग्राहियों को प्रदान की जाती है, जैसा कि पैरा-10 में बताया गया है। ऐसे सहायता अनुदान को अनुदानदाता तथा अनुदानग्राही दोनों के ही हिसाब में राजस्व व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

उद्‌घोषणा

17. सहायता अनुदान के वर्गीकृत होने तथा अनुदानदाता के लिए राजस्व व्यय के रूप में अभिलेखित होने की स्थिति में अनुदानदाता की वित्तीय विवरणी में अनुदानग्राही (ग्राहियों) को जारी की गई कुल निधियों की प्रमात्रा तथा वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई सहायता-अनुदान में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियों का पूरा उल्लेख मानक के पैरा-25 में यथानिर्दिष्ट प्रपत्र पर होना चाहिए।

18. इस मानक के पैरा-20 में यथानिर्दिष्ट इन अनुदानों के सिवाय पैरा-25 में यथा निर्दिष्ट प्रपत्र में सहायता अनुदान के बारे में सूचना दी जाएगी।

19. अपवादस्वरूप, विशेषकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत स्थिति में, जैसाकि इन मानक के पैरा-13 में संदर्भित है, पैरा 25 में दर्शाए गए प्रपत्र में निहित नोट के अनुरूप उद्‌घोषणा की जाएगी।

20. वस्तुगत रूप में दिया गया सहायता-अनुदान इन मानक के पैरा-12 में दर्शायी गई शर्तों के अनुरूप मात्रात्मक संदर्भों में घोषित किया जाएगा। अनुदानग्राही द्वारा अनुदान प्राप्त करने के समय अनुदानदाता द्वारा अपनी वित्तीय विवरणी में वस्तुगत रूप से प्राप्त सहायता-अनुदान को घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार अनुदानग्राही द्वारा अनुदान प्राप्त करते समय अपनी वित्तीय विवरणी में भी इस वस्तुगत सहायता अनुदान को घोषित किया जाएगा।

21. पैरा 17 और 18 में अपेक्षित ब्यौरे पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अदा किए गए प्रचालन व्यय के प्रदत्त भागों को अलग करते हुए राजस्व शीर्ष के नीचे उप वर्गीकरण के द्वारा सहायता-अनुदान के भुगतान एवं प्राप्ति लेखांकन वर्गीकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इससे लेखांकन प्राधिकरणों को जारी किए गए सहायता-अनुदानों की प्रमात्रा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने और प्रचालन व्यय की भरपाई करने में मदद मिलेगी तथा स्वयं लेखांकन अभिलेखों के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन में भी सहायता मिलेगी।

22. पैरा-20 में यथापेक्षित ब्यौरे सरकार के संबद्ध विभागों/मंत्रालयों द्वारा संग्रहीत और समेकित किए जाएंगे और अनुदानदाता (सरकार) के लिए संबद्ध लेखांकन प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त घोषणा प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए समेकित किए जाएंगे।

23. अनुदानदाता द्वारा पूंजीगत आस्ति के सृजन के प्रयोजन से अनुदानग्राही को दिए गए सहायता-अनुदान की व्याप्ति का अभिनिश्चय करने के लिए अनुदानदाता की वित्तीय विवरणी सहायता-अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियों तथा पैराग्राफ-25 में यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में वित्तीय विवरणी के परिशिष्ट के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानग्राही द्वारा पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा घोषित होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुदानदाता की वित्तीय विवरणी में सूचना घोषणा में सुधार होगा। इस तरह की घोषणाओं से सरकारी निधियों की मदद से चलने वाली विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा शुरू की गई भावी प्रमुख निर्माण गतिविधियों की प्रमात्रा का अंदाजा लगाने में प्रयोक्ताओं को मदद मिलेगी।

प्रभावी तिथि

24. 1.4.2011 से लागू अवधि के कवर करने वाली वित्तीय विवरणियों के लिए यह भारतीय सरकारी लेखांकन मानक प्रभावी होंगे। घोषणा के प्रपत्र।

25. सुझाया गया प्रपत्र नीचे दिया गया है।

वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रूपए)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	**सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां**			**कॉलम-2 के तहत जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां**		
(1)	**(2)**			**(3)**		
	आयोजना	**आयोजना-भिन्न**	**कुल**	**आयोजना**	**आयोजना-भिन्न**	**जोड़**
राज्य सरकार (2)						
केन्द्रशासित सरकारें (2)						
शहरी स्थानीय निकाय (3)						
पंचायती राज संस्थाएं (4)						
सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम (5)						
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)						
स्वायत्तशासी निकाय						
सहकारी समितियां तथा सहकारी संस्थाएं						
सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण						
अन्य						

(1)

अपेक्षित सूचना का ब्यौरा इस मानक के पैरा 18 में यथानिर्धारित उपयुक्त वर्गीकरण उपलब्ध कराकर लेखांकन रिकार्ड से तैयार किया जाएगा।

(2)

केवल केन्द्र सरकार के मामले में प्रयोज्य

(3)

शहरी स्थानीय निकाय- इस श्रेणी में नगर निगम, नगरपालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण और सदृश्य संस्थान, चाहे किसी भी नाम से जाने जाएं, शामिल होंगे।

(4)

पंचायती राज संस्थाएं- इस श्रेणी में जिला परिषद (जिला पंचायत), खंड पंचायत और ग्राम पंचायत चाहे किसी भी नाम से जाने जाएं, शामिल होंगे।

(5)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम- इस श्रेणी में सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियां और अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां शामिल होंगी।

टिप्पणीः

(क) : पण्य प्रदत्त अनुदानों का मूल्य निम्नलिखित प्रारूप में दिखाया जाएगाः
पण्य में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायता अनुदान के मूल्य का विवरण

(लाख रूपए)

ग्रांटी नाम/श्रेणी	पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायता अनुदान का मूल्य
(1)	(2)	(3)

अथवा

ग्रांटी नाम/श्रेणी	प्रमाणात्मक संदर्भ में पण्य में सहायता अनुदान का प्रकटन
(1)	(2)

(6)

अपेक्षित सूचना का ब्यौरा संबद्ध विभागों/सरकार के मंत्रालयों द्वारा संग्रहित और संकलित किया जाएगा और संबद्ध लेखांकन प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रकटन फार्मेट तैयार करने हेतु ग्रांटर (सरकार) के लिए समेकित किया जाएगा।

[फा. सं. 1(17)-बी(एसी)/2002-वॉल्यूम-III]

भारत की राष्ट्रपति के आदेश से

शक्तिकान्त दास, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2011

S.O. 1113(E).— In exercise of the powers conferred by article 150 of the Constitution of India, the President of India, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following accounting standards, namely,- Indian Government Accounting Standards (IGAS)2,- "Accounting and Classification of Grants- In- Aid."

2. The Indian Government Accounting Standards, (IGAS) 2-"Accounting and Classification of Grants- In- Aid", prescribes the principles of following accounting and classification of Grants-In-Aid in the Financial Statements of Government both as Grantor as well as Grantee, namely,-

"Accounting and Classification of Grants-in-aid"

The Standard, which has been set in bold italic type, should be read in the context of the explanatory paragraphs in this Standard, which are in plain type and in the context of the "Preface to Indian Government Accounting Standards". The Indian Government Accounting Standards are not intended to apply to immaterial items.

Introduction

1. Grants-in-aid are payments in the nature of assistance, donations or contributions made by one government to another government, body, institution or individual. Grants-in-aid are given for specified purpose of supporting an institution including construction of assets. The general principle of grants-in-aid is that it can be given to a person or a public body or an institution having a legal status of its own. Such grants-in-aid could be given in cash or in kind used by the recipient agencies towards meeting their operating as well as capital expenditure requirement.

2. Grants-in-aid are given by the Union Government to State Governments and by the State Governments to the Local Bodies discharging functions of local government under the Constitution. This is based on the system of governance in India, which follows three-tier pattern with the Union Government at the apex, the States in the middle and the Local Bodies (LBs) consisting of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and the Urban Local Bodies (ULBs) at the grass root level. Accounts of these three levels of Government are separate and consequently the assets and liabilities of each level of government are recorded separately. Grants-in-aid released by the Union Government to the State Governments are paid out of the Consolidated Fund of India as per Articles 275 and 282 of the Constitution. The Union Government releases grants-in-aid to the State/Union Territory Government under Central Plan Schemes and Centrally Sponsored Schemes. Sometimes, the Union Government disburses funds to the State Governments in the nature of Pass-through Grants that are to be passed on to the Local Bodies. Funds are also released directly by the Union Government to District Rural Development Agencies (DRDAs) and other specialized agencies including Special Purpose Vehicles (SPVs) for carrying out rural development, rural employment, rural housing, other welfare schemes and other capital works schemes like construction of roads, etc. Similarly, the State Governments also disburse Grants-in-aid to agencies, bodies and institutions such as universities, hospitals, cooperative institutions and others.

3. The Article 243 of the Constitution endows the Panchayats and the Municipalities with such powers and authorities to enable them to function as institution of self-government in relating to the matters listed in the eleventh and the twelfth schedule respectively. The Constitution also authorizes the State Governments to provide for making such grants-in-aid to the Panchayats and the Municipalities as may be specified in the law. The State Governments also disburse Grants-in-aid to agencies, bodies and institutions having a distinct legal entity.

Objective

4. The objective of this Standard is to prescribe the principles for accounting and classification of Grants-in-aid in the Financial Statements of Government both as a grantor as well as a grantee. The Standard also aims to prescribe practical solutions to remove any difficulties experienced in adherence to the appropriate principles of accounting and classification of Grants-in-aid by way of appropriate disclosures in the Financial Statements of Government.

Scope

5. This Standard applies to the Union Government and the State Governments in accounting and classification of Grants-in-aid received or given by them. The Financial Statements should not be described as complying with this Standard unless they comply with all the requirements contained therein. This Standard encompasses cases of Pass-Through Grants mentioned in paragraph 2 above.

Definitions

6. The following terms are used in this Standard with meaning specified, unless the context otherwise requires:

<u>Accounting Authority</u> is the authority which prepares the Financial Statements of the Government.

<u>Financial statements</u> mean the Annual Finance Accounts of the Governments.

<u>Grants-in-aid</u> are payments, transfers of funds, in cash or in kind, in the nature of donations or contributions by one government (grantor) to another government, body, institution or individual (grantee).

<u>Government</u> means all departments and ministries of a Government taken together, whether of the Union Government or State Government or Union Territory Government with Legislature.

<u>Local Bodies</u> include Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies under the provisions of Article 243 and Schedule 12 of the Constitution.

<u>Pass-Through Grants</u> means grants-in-aid given by the Union Government to the State Governments for transfer to an ultimate grantee.

Recognition

7. Grants-in-aid in cash shall be recognised in the books of the grantor at the time cash disbursements take place. Grants-in-aid in cash shall be recognised in the books of the grantee at the time cash receipts take place.

1797 GI/11-3

8. Grants-in-aid in kind where value as in paragraph 12 is available shall be recognized in the books of the grantor at the time of their receipt by the grantee. Grants-in-aid in kind where value as paragraph 12 is available shall be recognized in the books of the grantee at the time of their receipt by the grantee.

Accounting and Classification

9. Grants-in-aid disbursed by a grantor to a grantee shall be classified and accounted for as revenue expenditure in the Financial Statements of the grantor irrespective of the purpose for which the funds disbursed as Grants-in-aid are to be spent by the grantee except in cases referred to in paragraph 13.

10. Grants-in-aid, that are in the nature of Pass-Through Grants, from the Union Government to the State Governments to be disbursed to ultimate grantee shall be classified and accounted for as revenue expenditure in the Financial Statements of both the Union Government and the State Governments irrespective of the purpose for which such grants are to be spent by the ultimate grantee except in cases referred to in paragraph 13.

11. Grants-in-aid received by a Government shall be classified and accounted for as revenue receipts in its Financial Statements irrespective of the purpose for which the funds received as grants-in-aid are proposed to be utilized, except in cases referred to in paragraph 13.

12. Grants-in-aid in kind shall be valued or disclosed as per the following:

(a) Grants-in-aid in kind in the nature of consumables, or of value as given by the grantor of less than Rupees one crore must be disclosed in appropriate quantitative terms,

(b) Grants-in-aid in kind relating to natural calamities or emergency purpose must be disclosed in appropriate quantitative terms. This disclosure is in addition to the monetary value thereof,

(c) In other cases, grants-in-aid in kind would be valued as per cost given by the grantor. In cases where the grantor is unable to indicate the cost, the market value of the grants-in-aid would be used,

(d) Market value would be the value prevailing in the market and in the absence thereof the replacement cost of the same or similar assets of same age, condition and purpose.

13. Expenditure on Grants-in-aid for the purpose of creating assets shall not, except in cases specifically authorized by the President on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, be debited to a capital head of account in the Financial Statements of the Government.

14. Grants-in-aid are classified and accounted for as revenue expenditure in the Financial Statements of the grantor irrespective of its ultimate application by the grantee. This position holds true even in those cases where Grants-in-aid are utilized

by the grantee for the purpose of creation of assets. Receipts of grants-in-aid are also required to be treated as revenue receipts in the Financial Statements of grantee Government.

15. Grants-in-aid are also received in kind by various grantees in the form of permanent assets like land. Normally, such grants-in-kind should be valued at current market prices. However, in case of non-availability of market prices, cost incurred by grantor may be used as the basis of valuation.

16. The Pass-Through Grants are normally given through an intermediate grantee for transfer to ultimate grantee. Such Grants-in-aid are also accounted for as revenue expenditure both in the books of grantor and the intermediate grantee as stated in paragraph10.

Disclosure

17. Where grants-in-aid given is classified and accounted for as revenue expenditure by the grantor, the Financial Statements of the grantor shall disclose quantum of total funds released to the grantee(s) and funds allocated for creation of capital assets out of the Grants-in-aid released during the financial year in the format prescribed in paragraph 25 of this Standard.

18. Information regarding Grants-in-aid in the format prescribed in paragraph 25 shall be generated from the accounting records except for such grants as mentioned in paragraph 20 of this Standard.

19. Exceptional cases specifically authorized by the President on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, as referred to at paragraph 13 of this Standard, shall be disclosed by way of note to the format prescribed in paragraph 25.

20. Grants-in-aid in kind shall be disclosed in quantitative terms as per paragraph 12 of this standard. Grants-in-aid in kind shall be disclosed in the financial statements of the grantor at the time of their receipt by the grantee. Grants-in-aid in kind shall be disclosed in the financial statements of the grantee at the time of their receipt by the grantee.

21. The details required in paragraphs 17 and 18 shall be provided for by the accounting classification of receipt and payment of grants-in-aid through sub-classification below revenue head by distinguishing grants paid for operating expenditure from those paid for creation of capital assets. This would enable the accounting authorities to clearly identify quantum of funds released as grants-in-aid and meant to be utilized for meeting operating expenses and for creation of capital assets from accounting records itself.

22. Details of information required in paragraph 20 will be collected and compiled by respective departments/ministries of Government and consolidated for grantor (Government) by the concerned Accounting Authority for preparation of above disclosure format.

23. In order to ascertain the extent of Grants-in-aid disbursed by the grantor to the grantee for the purpose of creation of capital assets, the Financial Statements of the grantor shall disclose the details of total funds released as Grants-in-aid and funds allocated for creation of capital assets by the grantee during the financial year, in the form of an Appendix to the Financial Statements in the format prescribed in paragraph 25. This will enhance transparency and lead to improved disclosure of information in the Financial Statements of the grantor. Such disclosures shall also enable the users of Financial Statements to assess the quantum of future capital formation activity to be undertaken by different grantees supported by funds from the Government.

Effective Date

24. This Indian Government Accounting Standard becomes effective for the Financial Statements covering periods beginning from 1.4.2011. **Format for Disclosure**

25. Suggested format is given below:

Statement Containing Details[1] of Total Funds Released During the Year ______ as Grants-in-aid and Funds Allocated for Creation of Assets

(₹. in lakhs)

Name/ Category of the Grantee	Total Funds Released as Grants-in-aid			Funds Allocated for Creation of Capital Assets out of Total Funds Released Under Column No. (2)		
(1)	(2)			(3)		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
State Government[2]						
Union Territories Government[2]						
Urban Local Bodies[3]						
Panchayati Raj Institutions[4]						
Public Sector Undertakings[5]						
Non-Governmental Organisations (NGOs)						
Autonomous Bodies						
Co-operative Societies and Co-operative Institutions						
Statutory Bodies and Development Authorities						
Others						

[(1)] Details of information required will be generated from the accounting records by providing appropriate sub-classification as stipulated in paragraph 18 of this standard.

[(2)] Applicable in case of the Union Government only.

[(3)] Urban Local Bodies – This category will include Municipal Corporations, Municipalities, Notified Area Authorities and similar institutions, by whatever name called.

[(4)] Panchayati Raj Institutions – This category will include entities like Zilla Parishads (District Panchayats), Block Panchayats and Gram Panchayats (Village Panchayats), by whatever name called.

[(5)] Public Sector Undertakings – This category will include statutory corporation, Government Companies and other Joint Stock Companies.

Note:

(a) Value of grants given in kind shall be disclosed in the following format:-

Statement Containing Details of Total Value of Grants-in-aid in kind and Value of Grants-in-aid in kind being Capital Asset in Nature

(₹ in lakhs)

Name/Category of the Grantee	Total Value of Grants-in-aid in kind	Value of Grants-in-aid in kind being Capital Asset in Nature
(1)	(2)	(3)

OR

Name/Category of the Grantee	Disclosure of grants in aid in kind in quantitative terms[(6)]
(1)	(2)

[(6)] Details of information required will be collected and compiled by respective departments/ministries of Government and consolidated for grantor (Government) by the concerned Accounting Authority for preparation of above disclosure format.

[F. No. 1(17)-B(AC)/2002-Vol.III]

By Order of the President of India

SHAKTIKANTA DAS, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.